

- नोट : स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध कक्षाओं) में प्रवेश चाहने वाले छात्र/छात्राओं को स्नातक परीक्षा के तीन वर्षों का पूर्ण विवरण देना है तथा तीनों की वर्षों की अंक सूची मार्कशीट की सत्यापित फोटो स्टेट प्रतियां संलग्न करनी आवश्यक है।
12. (क) यदि किसी वैकल्पिक विषय में पूरक परीक्षा देनी हो तो उस विषय का नाम
 (ख) यदि अनिवार्य विषयों में परीक्षा देनी हो तो उसके नाम
13. यदि अन्तिम परीक्षा देने और अब प्रवेश लेने के बीच अन्तराल (गैप) हाँ तो उसका विवरण दें। (गैप का शपथ पत्र अथवा गैप के दौरान अन्य उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्ण विवरण दें).....
14. क्या छात्र/छात्रा का पं. दीनदयाल शेखावाटी वि.वि. सीकर में एनरोलमेंट हो चुका है ? यदि हाँ तो एनरोलमेंट संख्या
15. क्या प्रवेशार्थी के विरुद्ध प्राचार्य/पुलिस द्वारा अनुशासनहीनता या अन्य आरोप के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ तो पूरा विवरण दें..
16. (1) उन सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों (खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर, वाद-विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम) आदि का उल्लेख करें जिनमें आपने गत विद्यालय, महाविद्यालय में भाग लिया हो।
 नोट : एन.सी.सी. या एन.एस.एस. में से केवल एक गतिविधि में ही भाग ले सकते हैं।
 (क)(ख)(ग)
17. केवल छात्राओं हेतु - महाविद्यालय गल्स्स हॉस्टल में प्रवेश चाहिए - हाँ नहीं
18. अध्ययन का माध्यम - हिन्दी अंग्रेजी.

प्रवेशार्थी द्वारा प्रतिज्ञा एवं घोषणा

मैं महाविद्यालय के अनुशासन तथा अन्य समस्त नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। मैंने प्रवेश नियम पढ़ लिये हैं और समस्त नियम मुझे स्वीकार हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जिससे कि महाविद्यालय की गरिमा को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी सरकारी, अद्वृत्सरकारी या निजी संस्थान में कार्य नहीं कर रहा/रहीं हूँ कार्यरत होने की दशा में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी के पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है और मैं प्रवेशार्थी छात्र/छात्रा के आचरण, व्यवहार तथा सभी शुल्क संबंधी दायित्वों के लिए उत्तरदायी हूँ। एवं मैं निम्न नियमों का पालन करूंगा/करूंगी -

1. समस्त शुल्क एक बार में ही जमा किये जायेंगे।
2. एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। जमा किया हुआ शुल्क किसी भी परिस्थिति में न तो इस वर्ष व न आगामी वर्षों में किसी अन्य छात्र के नाम में समायोजित नहीं होगा व आगामी किसी वर्ष में भी मेरे लिये समायोजित नहीं होगा।
3. प्रवेश नियम तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन राज्य सरकार तथा पं. दीनदयाल शेखावाटी वि.वि. सीकर के द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

प्रवेश पत्र

(विद्यार्थी स्वयं इसकी पूर्ति करें)

श्री/कुमारी

पिता का नाम श्री

को कक्षा सैक्षण में विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त होने तक निम्न विषयों में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

1.
2.
3.
4.

मैंने इस छात्र/छात्रा की योग्यता को जांच लिया है एवं छात्र/छात्रा उक्त कक्षा में प्रवेश योग्य है।

दिनांक

प्रभारी (प्रवेश समिति)

प्राचार्य